

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 134]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 22 फरवरी 2021 — फाल्गुन 3, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 9 फरवरी 2021

अधिसूचना
संख्या 40/2020 — राज्य कर

क्रमांक एफ 10-02/2021/वाक/पांच(05).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और परिषद की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 35/2020—राज्य कर क्रमांक एफ-10-83/2020/वाक/पांच(118) दिनांक 19 नवम्बर, 2020 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 615 तारीख 1 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के पहले, प्रथम पैरा में, खंड (ii) में, निम्नलिखित परन्तुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु जहां छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138 के अधीन, मार्च, 2020 के 24वें दिन तक या उसके पूर्व, ई-वे बिल सृजित किया गया है और जिसकी वैधता की अवधि, मार्च, 2020 के 20वें दिन से अप्रैल, 2020 के 15वें दिन के दौरान समाप्त हो गई है, ऐसे ई-वे बिल की वैधता अवधि को मई, 2020 के 31वें दिन तक बढ़ा दिया गया माना जाएगा।”

2. यह अधिसूचना 5 मई, 2020 से प्रभावशील मानी जाएगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 9 फरवरी 2021

क्रमांक एफ 10-02/2021/वाक/पांच(05).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-02/2021/वाक/पांच (05), दिनांक 09-02-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 9th February 2021

NOTIFICATION
No. 40/2020 – State Tax

No. F 10-02/2021/CT/V(05).— In exercise of the powers conferred by section 168A of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the Notification No. 35/2020-State Tax, No. F 10-83/2020/CT/V(118), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 19th November, 2020, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 615, dated the 1st December, 2020, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, in clause (ii), the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that where an e-way bill has been generated under rule 138 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017 on or before the 24th day of March, 2020 and its period of validity expires during the period 20th day of March, 2020 to the 15th day of April, 2020, the validity period of such e-way bill shall be deemed to have been extended till the 31st day of May, 2020.”.

2. This notification shall be deemed to have come in to force on 5th May, 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 9 फरवरी 2021

अधिसूचना

संख्या 47/2020 – राज्य कर

क्रमांक एफ 10-02/2021/वाक/पांच(06).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 35/2020-राज्य कर क्रमांक एफ-10-83/2020/वाक/पांच(118) दिनांक 19 नवम्बर, 2020 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 615 तारीख 1 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के पहले पैरा के खंड (पप) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु जहां छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138 के अधीन 24 मार्च, 2020 को या पूर्व ई-वे बिल सृजित किया गया है और जिसकी वैधता 20 मार्च, 2020 को या उसके पश्चात् समाप्त हो गई है, ऐसे ई-वे बिल की वैधता अवधि को 30 जून, 2020 तक बढ़ा दिया गया समझा जाएगा।”

2. यह अधिसूचना 31 मई, 2020 से प्रवृत्त समझी जाएगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 9 फरवरी 2021

क्रमांक एफ 10-02/2021/वाक/पांच(06).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-02/2021/वाक/पांच (06), दिनांक 09-02-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 9th February 2021

NOTIFICATION
No. 47/2020 – State Tax

No. F 10-02/2021/CT/V (06).— In exercise of the powers conferred by section 168A of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the Notification No. 35/2020-State Tax, No. F 10-83/2020/CT/V(118), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 19th November, 2020, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 615, dated the 1st December, 2020, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, in clause (ii), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

“Provided that where an e-way bill has been generated under rule 138 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017 on or before the 24th day of March, 2020 and whose validity has expired on or after the 20th March, 2020, the validity period of such e-way bill shall be deemed to have been extended till the 30th day of June, 2020.”.

2. This notification shall come into force with effect from the 31st day of May, 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 9 फरवरी 2021

अधिसूचना

संख्या 55/2020 – राज्य कर

क्रमांक एफ 10-02/2021/वाक/पांच (07).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 35/2020-राज्य कर क्रमांक एफ-10-83/2020/वाक/पांच(118) दिनांक 19 नवम्बर, 2020 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 615 तारीख 1 दिसम्बर, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के पहले पैरा के खंड (i) में,—

- (i) “जून, 2020 के 29वें” अंको और शब्दों के स्थान पर “अगस्त, 2020 के 30वें” अंक और शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) “जून, 2020 के 30वें” अंको और शब्दों के स्थान पर “अगस्त, 2020 के 31वें” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 27 जून, 2020 से प्रभावशील मानी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 9 फरवरी 2021

क्रमांक एफ 10-02/2021/वाक/पांच (07).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-02/2021/वाक/पांच (07), दिनांक 09-02-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 9th February 2021

NOTIFICATION
No. 55/2020 – State Tax

No. F 10-02/2021/CT/V (07).— In exercise of the powers conferred by section 168A of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the Notification No. 35/2020-State Tax, No. F 10-83/2020/CT/V(118), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 19th November, 2020, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 615, dated the 1st December, 2020, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, in clause (i),--

- (i) for the words, figures and letters "29th day of June, 2020", the words, figures and letters "30th day of August, 2020" shall be substituted;
- (ii) for the words, figures and letters "30th day of June, 2020", the words, figures and letters "31st day of August, 2020" shall substituted.

2. This notification shall be deemed to have come in to force on 27th June, 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 9 फरवरी 2021

अधिसूचना

संख्या 56/2020 – राज्य कर

क्रमांक एफ 10-02/2021/वाक/पांच (08).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 46/2020-राज्य कर क्रमांक एफ-10-83/2020/वाक/पांच(120) दिनांक 19 नवम्बर, 2020 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 615 तारीख 1 दिसम्बर, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के पहले पैरा में,—

- (i) "29 जून, 2020" अंको और शब्दों के स्थान पर "30 अगस्त, 2020" अंक और शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) "30 जून, 2020" अंको और शब्दों के स्थान पर "31 अगस्त, 2020" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 27 जून, 2020 से प्रभावशील मानी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 9 फरवरी 2021

क्रमांक एफ 10-02/2021/वाक/पांच (08).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-02/2021/वाक/पांच (08), दिनांक 09-02-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 9th February 2021

NOTIFICATION
No. 56/2020 – State Tax

No. F 10-02/2021/CT/V (08).— In exercise of the powers conferred by section 168A of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the Notification No. 46/2020-State Tax, No. F 10-83/2020/CT/V(120), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 19th November, 2020, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 615, dated the 1st December, 2020, namely:—

In the said notification, in the first paragraph,—

- (iii) for the words, figures and letters "29th day of June, 2020", the words, figures and letters "30th day of August, 2020" shall be substituted;
- (iv) for the words, figures and letters "30th day of June, 2020", the words, figures and letters "31st day of August, 2020" shall substituted.

2. This notification shall be deemed to have come in to force on 27th June, 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 9 फरवरी 2021

अधिसूचना

संख्या 65/2020 – राज्य कर

क्रमांक एफ 10-02/2021/वाक/पांच (09).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 35/2020-राज्य कर क्रमांक एफ-10-83/2020/वाक/पांच(118) दिनांक 19 नवम्बर, 2020 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 615 तारीख 1 दिसम्बर, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में प्रथम पैरा में, खंड (i) में, निम्नलिखित परन्तुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु जहां, किसी भी प्राधिकरण द्वारा किसी भी कार्रवाई को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए किसी भी समय सीमा, जो मार्च, 2020 के 20वें दिन से नवंबर, 2020 के 29वें दिन तक की अवधि के दौरान आता है, को उक्त अधिनियम की धारा 171 के तहत निर्दिष्ट या निर्धारित या अधिसूचित किया गया है, और जहां ऐसी कार्रवाई को पूरा करना या अनुपालन ऐसे समय के भीतर नहीं किया गया है, तो, ऐसी कार्रवाई के पूरा करने की या अनुपालन के लिए समय सीमा नवंबर, 2020 के 30वें दिन तक बढ़ा दी जाएगी।”।

2. यह अधिसूचना 1 सितंबर, 2020 से प्रभावशील मानी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 9 फरवरी 2021

क्रमांक एफ 10-02/2021/वाक/पांच (09).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-02/2021/ वाक/पांच (09), दिनांक 09-02-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 9th February 2021

NOTIFICATION
No. 65/2020 – State Tax

No. F 10-02/2021/CT/V (09).— In Exercise of the powers conferred by section 168A of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the Notification No. 35/2020-State Tax, No. F 10-83/2020/CT/V(118), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 19th November, 2020, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 615, dated the 1st December, 2020, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, in clause (i), the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided that where, any time limit for completion or compliance of any action, by any authority, has been specified in, or prescribed or notified under section 171 of the said Act, which falls during the period from the 20th day of March, 2020 to the 29th day of November, 2020, and where completion or compliance of such action has not been made within such time, then, the time limit for completion or compliance of such action, shall be extended upto the 30th day of November, 2020."

2. This notification shall be deemed to have come in to force on 1st September, 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 9 फरवरी 2021

अधिसूचना

संख्या 66/2020 – राज्य कर

क्रमांक एफ 10-02/2021/वाक/पांच (10).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 35/2020-राज्य कर क्रमांक एफ-10-83/2020/वाक/पांच(118) दिनांक 19 नवम्बर, 2020 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 615 तारीख 1 दिसम्बर, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैरा में, खंड (i) में, निम्नलिखित परंतुको अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु और भी कि, जहां अनुमोदन पर बिक्री या वापसी के लिए भारत से बाहर भेजे या ले जाये जा रहे माल के संबंध में किसी व्यक्ति के लिए किसी भी समय सीमा, जो मार्च, 2020 के 20वें दिन से अक्टूबर, 2020 के 30वें दिन तक की अवधि के दौरान आता है, को उक्त अधिनियम के खंड 31 के उपखंड (7) के तहत निर्दिष्ट या निर्धारित या अधिसूचित किया गया है, और जहां ऐसी कार्रवाई को पूरा करना या अनुपालन ऐसे समय के भीतर नहीं किया गया है, तो, ऐसी कार्रवाई को पूरा करने की या अनुपालन के लिए समय सीमा अक्टूबर, 2020 के 31वें दिन तक बढ़ा दी जायेगी।

2. यह अधिसूचना 21 सितंबर, 2020 से प्रभावशील मानी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 9 फरवरी 2021

क्रमांक एफ 10-02/2021/वाक/पांच (10).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-02/2021/ वाक/पांच (10), दिनांक 09-02-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 9th February 2021

NOTIFICATION
No. 66/2020 – State Tax

No. F 10-02/2021/CT/V (10).— In exercise of the powers conferred by section 168A of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the Notification No. 35/2020-State Tax, No. F 10-83/2020/CT/V(118), Chhattisgarh Commercial Tax Department, dated the 19th November, 2020, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 615, dated the 1st December, 2020, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, in clause (i), after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely :-

" Provided further that where, any time limit for completion or compliance of compliance of any action, by any person, has been specified in, or prescribed or notified under sub-section (7) of section 31 of the said Act in respect of goods being sent or taken out of India on approval for sale or return. which falls during the period from the 20th day of March, 2020 to the 30th day of October, 2020 and where completion or compliance of such action has not been made within such time, then, the time limit for completion or compliance of such action, shall stand extended upto the 31st day of October, 2020."

2. This notification shall be deemed to have come in to force on 21st September, 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.